न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2022-222(GCMS2022-355) RTA225 Rajuram Vs Narpatsingh etc

राजुराम पुत्र हरिराम जाति सुथार
निवासी ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. नरपतसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत
   निवसी ग्राम आमला, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
2. आसुसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्रसिंह
3. दानसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्रसिंह
4. नारायणसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्रसिंह
5. रघुवीरसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्रसिंह
6. राधाकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्रसिंह
7. राजस्थान सरकार,
   जरिये तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 01 जून 2022 राजस्व प्रकरण संख्या 95/2022 नरपतसिंह बनाम राजुराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 14 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 95/2022 नरपतसिंह बनाम राजूराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2022 के खिलाफ राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 253 रकबा 7.3815 हैक्टर वाके मौजा आमला में अपना ⅕ हिस्सा होना जाहिर करते हुए प्रस्तुत किया और मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संस्थित किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 01 जून 2022 को जारी किया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इकतरफा पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06 जून 2022 को स्थगन प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर दिया गया, किन्तु उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलाधीन अंतरिम आदेश की अवधि पेशी-दर-पेशी बढायी जाती रही है। अतः आलौच्य अपील पेश की गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. ने वाद्ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 253 रकबा 7.3815 हैक्टर वाके मौजा आमला में अपना ⅕ हिस्सा होना जाहिर करते हुए प्रस्तुत किया और इसी अनुसार अपने ⅕ हिस्से बाबत अनुतोष की मांग की, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये सम्पूर्ण रकबे बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों को भी नजरअंदाज किया गया है। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 253 में ⅗ हिस्से बाबत जमाबंदी संवत 2074-2077 में दर्ज सहखातेदार शारदा पत्नी गौरीशंकर से उसके हिस्से की सम्पूर्ण 4.4289 हेक्टर भूमि दिनांक 25 अप्रेल 2022 को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख कय कर कब्जा प्राप्त किया है, मगर अपीलाधीन आदेश एवं तदनुसार जमाबंदी में अंकित टिप्पणी के कारण म्युटेशन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अपीलाण्ट ने जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख वादग्रस्त भूमि की अभिलिखित सहखातेदार को सद्भावनापूर्वक मूल्यवान प्रतिफल देकर उसके हिस्से की भूमि मय कृषि कनेक्शन कय की है। ऐसी स्थिति में वादी-रेस्पो. द्वारा वांछित ⅕ हिस्से की भूमि के बजाय सम्पूर्ण खसरे की भूमि बाबत जरिये अपीलाधीन आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2010(2) आरआरटी 1392, 2011(1) आरआरटी 612, 2019(2) आरआरटी 777, 2014(3) डब्ल्युएलएन 130 (राज.उच्च न्याया.), 2014-15(पूरक) आरआरटी 658 एवं 2013(2) आरआरटी 1108 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट एक अजनबी केता है जिसे अपनी कयशुदा भूमि बाबत विधिवत बंटवारे का दावा पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अपीलाण्ट के पक्ष में तथाकथित बेचान शून्यप्रभावी और कागजी मात्र है, न तो विकेता का वादग्रस्त खसरा के विशिष्ट भू-भाग पर कभी कोई कब्जा रहा है और न ही केता को भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया है। मौके पर कृषि नलकूप एवं चालू कनेक्शन नहीं है। शून्यप्रभाव एवं कागजी-मात्र बेचाननामा के आधार पर अपीलाण्ट जबरन वादग्रस्त आराजी से रेस्पो. को बेदखल करने पर आमदा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के खिलाफ यह अपील चलने योग्य ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपनी ओर से जबाब-स्थगन प्रार्थनापत्र पेश करना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत बहस करनी चाहिये। आलौच्य अपील मियाद-बाधित एवं अंतरिम स्थगन आदेश के खिलाफ होने के कारण तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में अपीलाण्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि " – अपीलार्थी ने दिनांक 6-6-2022 को विचारण न्यायालय में धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में जबाब पेश कर दिया फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा आज दिन तक

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर न देकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढाया जा रहा है…"। इस संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जबाब-स्थगन प्रार्थनापत्र पर प्रस्तुतीकरण की दिनांक 03 अगस्त 2022 अंकित है। जिसका उल्लेख दिनांक 3 अगस्त 2022 की आदेशिका पर भी किया गया है और आगे पेशी 17 अगस्त 2022 मुकर्रर की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त नियत पेशी से पूर्व ही दिनांक 10 अगस्त 2022 को आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर यह जाहिर किया जाना मिथ्या कथन की श्रेणी में आता है कि जबाब पेश कर दिये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की अवधि का आगे बढाया जा रहा है। मिथ्या कथनों पर आधारित मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जबाब-स्थगन प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 25 अप्रेल 2022 का अवलोकन करने पर उक्त विकय विलेख के जरिये विकेता श्रीमती शारदा पत्नी गौरीशंकर एवं गोरीशंकर पुत्र चतुर्भुज द्वारा केता-अपीलाण्ट राजुराम के पक्ष में बेचान की गयी भूमि के पडौस आदि अंकित कर विशिष्ट भू-भाग का कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रकट नहीं होता है। विकय विलेख के अनुसरण में म्युटेशन की कार्यवाही एवं कृषि कनेक्शन की कार्यवाही नहीं हो पाना अपने अपील मीमो में अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अंकित किया गया है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 253 सहखातेदारी की भूमि होना एक स्वीकृत तथ्य है किन्तु उसका सहखातेदारान के मध्य विधिवत औपचारिक बंटवारा होना प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी सहखातेदार/सहखातेदारान अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहखातेदार/सहखातेदारान की रजामन्दी के बिना संयुक्त खातेदारी की भूमि के किसी भू-भाग विशेष का बेचान अथवा हस्तान्तरण कानूनन नहीं कर सकता है। इस प्रकार कय किये जाने वाले हिस्से का केता स्ट्रेन्जर परचेजर की श्रेणी में आता है, जो विधिवत विभाजन बाद ही अपनी कयशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा जारी कर अपीलाण्ट-अप्रार्थी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 253 रकबा 7.3815 हैक्टर वाके ग्राम आमला में प्रार्थी (रेस्पो. संख्या एक) के हक हिस्सा में दखलदांजी नहीं करने एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। साथ ही आदेश 39 सीपीसी की पालना में अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के आदेश भी दिये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 03 अगस्त 2022 के अनुसार अपीलाण्ट ने स्थगन प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया है और आगामी पेशी 17 अगस्त 2022 मुकर्रर की गयी। ऐसी स्थिति में उक्त मुकर्रर पेशी से पूर्व ही अपीलाण्ट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10 अगस्त 2022 को आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दिया जाना औचित्यपूर्ण प्रकट नहीं होता है। अंतरित अस्थायी निषेघाज्ञा के मामले में स्थगन प्रार्थनापत्र का जबाब पेश करने के बाद मुकर्रर आगामी तारीख पेशी पर अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिये।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अदालत हाजा सम्मान करती है। किन्तु आलौच्य मामले में अपीलाण्ट स्वयं के अनुसार उसके पक्ष में अभी तक म्युटेशन की कार्यवाही सम्पादित नहीं हुई है अर्थात वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलाण्ट वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नम्बर की भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार नहीं है और न ही विकय-विलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी के किसी भू-भाग विशेष का कब्जा पास-पडौस अंकित करते हुए केता-अपीलाण्ट को सुपुर्द किया गया है। ऐसी स्थिति में तथ्यों की भिन्नता के कारण 2010(2) आरआरटी 1392 एवं अन्य नजीरें 2011(1) आरआरटी 612, 2019(2) आरआरटी 777, 2014(3) डब्ल्युएलएन 130 (राज.उच्च न्याया.), 2014-15(पूरक) आरआरटी 658 एवं 2013(2) आरआरटी 1108 इस मामले पर लागू नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2022 यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान की सुनवाई कर आगामी एक माह की अवधि में मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.11.22

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर